दिनांक 18.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कौशाम्बी

●पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी की 01 मोटर साइकिल

●01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः17.05.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 2/5 की पुलिया बैशाली पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शालीमार गार्डन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमीर निवासी ब्रम्हपुरी की पुलिया थाना सीलमपुर, दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद झॉसी/थाना एरच

●पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

●लूट की घटना का अनावरण

●लूटे गये 25 लाख 20 हजार रूपये नगद

●02 मोबाइल फोन

●घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

●02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 17.05.2024 की रात्रि थाना एरच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरसराय से ग्राम झबरा की ओर जाने वाला कच्चा मार्ग बिजली के खम्बे के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–रविपाल उर्फ रविन्द्र 2–निरपत घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अशोक सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 25 लाख 20 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 14.05.2024 को थाना एरच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना एरच पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना एरच पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रविपाल उर्फ रविन्द्र निवासी ग्राम सारौल थाना बरूआसागर जनपद झॉसी।

2–निरपत निवासी ग्राम सारौल थाना बरूआसागर जनपद झॉसी।

3–अशोक निवासी ग्राम सारौल थाना बरूआसागर जनपद झॉसी।

बरामदगी

1–लूटे गये 25 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी

●01 अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी की घटना का अनावरण

●चोरी के 17 लाख 85 हजार रूपये नगद बरामद

दिनॉकः 17.05.2024 को थाना रिफाइनरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएनजी पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त विजय उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 17 लाख 85 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 20.04.2024 को थाना रिफाइनरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय उर्फ पप्पू निवासी कडिया सासी थाना बोडा जनपद राजगढ म0प्र0।

बरामदगी

1–चोरी के 17 लाख 85 हजार रूपये नगद।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

•पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट का मोबाइल फोन

•लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन

•01 मोटर साइकिल

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 17.05.2024 की रात्रि थाना टूण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फिरोजाबाद से टूण्डला हाइवे से चंडिका गॉव के रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 1–अभियुक्त गोपाल उर्फ गोपाल कृष्ण उर्फ गुलशन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अनीश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट का मोबाइल फोन, लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गोपाल उर्फ गोपाल कृष्ण उर्फ गुलशन के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोपाल उर्फ गोपाल कृष्ण उर्फ गुलशन निवासी बगदा चमरोली 125 फुटा रोड ताजगंज, आगरा।

2–अनीश निवासी नई आबादी नगला बुद्धी दयालबाग, आगरा।

बरामदगी

1–लूट का मोबाइल फोन।

2–लूट/चोरी के 03 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना</u>

●पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

●चोरी की 01 मोटर साइकिल

●01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 18.05.2024 को थाना चिलकाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दुमझेड़ा से धौलाहेड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अहसान उर्फ भोलू उर्फ भालू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अहसान उर्फ भोलू उर्फ भालू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिकलाना जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्त 1–विश्राम 2–लालू को आजीवन कारावास व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रोहनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना रोहनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संजय कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————